जनजाति समुदाय एवं देशज संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु उपलब्ध संवैधानिक प्रावधान

डॉ० प्रदीप कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
जे०एस० हिन्दू (पी०जी०) कॉलेज, अमरोहा
ईमेलः drpradeepkumar1410@gmail.com

सारांश

सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से देश के जनजातीय समुदाय हमारे सामाजिक–आर्थिक परिवेश के प्रारंभिक काल के सूचक है। भारतीय जनजातीय समुदाय हमेशा से ही जनमानस के आर्कषण एवं दिलचस्पी का केन्द्र रहा है। रीति–रिवाज, व्यवहार एवं देशज ज्ञान को संजोकर संरक्षित रखने की इनकी प्रवृति अद्यतन् समय में समूची मानव जाति के कल्याण के लिए अपरिहार्य है। विरासत किसी भी व्यक्ति अथवा समूह की पहचान, चेतना और एकजुटता का बुनियादी स्रोत है। पूर्वजो से प्राप्त विरासत को धरोहर, सामाजिक संरचना, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक पहलू एवं देशज संस्कृति जैसे नाम दिये जा सकते है। गत दशको से देशज संस्कृति विमर्ष का विषय रही है।

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार देश में जनजातीय समुदाय के व्यक्तियों की जनसंख्या 10.9 करोड थी एवं जनसंख्या अनुपात में इस समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 8.6 प्रतिशत है। भारतीय संविधान में देशज संस्कृति एवं जनजातीय समुदाय के हितों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए अनेक संवैधानिक उपबन्ध उपलब्ध है। जनजातीय समुदाय हमारे देश की समृद्ध धरोहर को संरक्षित रखे हुए है। उनका सादगी भरा रहन–सहन जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण जैसे मुद्दों से जुझ रहे विश्व को अपनी उपादेयता से परिचित कराता है।

मुख्य बिन्दु

जनजाति, देशज संस्कृति, अनुसूचित जनजाति, भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं उपलब्ध संवैधानिक उपबंध।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 20.02.2024
Approved: 23.02.2024

डॉ० प्रदीप कुमार

जनजाति समुदाय एवं देशज संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु उपलब्ध संवैधानिक प्रावधान

RJPP Oct.23-Mar.24, Vol. XXII, No. I,

PP. 046-052
Article No. 06

Online available at:
https://anubooks.com/view?file=3564&session_id=rjpp-march-2024-vol-xxii-no1-230

भारत में देशज संस्कृति और जनजाति समुदाय के बीच अदभुत सम्बन्ध है। इस संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन में जनजाति समुदाय की विशिष्ट भूमिका है। वर्तमान समय में भारत में लगभग 140 करोड जनसंख्या निवास करती है। इनमें से लगभग 10.8 करोड जनसंख्या जनजाति समुदाय की है अर्थात लगभग 8.6 प्रतिशत जनसंख्या उक्त में जनजाति समुदाय की है। इस समुदाय की उपस्थिति देश के लगभग प्रत्येक हिस्सें में विद्यमान् है। जनजाति समुदाय की कुल जनसंख्या का 89.97 प्रतिशत हिस्सा गाँव और 10.03 प्रतिशत हिस्सा शहरों में निवास करता है।[1] जनजाति समुदाय एवं देशज संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु उपलब्ध संवैधानिक प्रावधान की विवेचना के पूर्व आवश्यक है कि सर्वप्रथम जनजाति एवं देशज संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट कर लिया जाए।

जनजाति अवधारणा

जनजाति अंग्रेजी शब्द ट्राइब का हिन्दी रूपान्तरण है। ट्राइब शब्द की व्युत्पति रोमन से हुई है। यह लेटिन भाषा के शब्द 'ट्राइब्स' से लिया गया है। बाद में इसका प्रयोग 'गरीब' या 'जन–जन' के लिए प्रयुक्त होने लगा। रोमन समाज में इसका उपयोग जन समूह को निर्दिष्ट करने के लिए किया गया था। सोलहवी सदी में पूर्वजों से वंश के दावे में एक समुदाय को निर्दिष्ट करने के कारण अंग्रेजी उपयोग में इसे मान्यता मिली। कालान्तर में इसका उपयोग औपनिवेशिक नृवंश विज्ञान और नृविज्ञान में 'पृथक कुलीन जंगली समुदाय' को, उनके पूरी तरह से सादगी से रहने के कारण नामित किया जाने लगा। वर्तमान अर्थ उन्नीसवी शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा।[2]

जनजाति से आशय व्यक्तियों के उन समूहो से है, जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास अथवा विचरण करते है। किसी आदिपूर्वज से अपना उद्‌गम मानते है। इनकी एक सामान्य संस्कृति है तथा यह आज भी आद्युनिक सभ्यता के प्रभावों से सापेक्षिक रूप से वंचित है।[3] जनजाति की परिभाषा के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। इसी के दृष्टिगत ए० आर० देसाई ने इसके लक्षणों को महत्वपूर्ण माना है। जनजाति समुदाय के लक्षणों अथवा विशेषताओं में आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति, अन्तर्विवाही, बंदसमाज, विनिमय का आधार वस्तु एवं सेवा होना, धर्म का आत्मावादी होना, बाहरी समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच तथा आर्थिक पिछड़ापन सम्मिलित है।[4]

भारत में जनजातीय समुदाय के व्यक्ति देश के तीन बडे हिस्से में निवास करतें है। प्रथम उत्तरी एवं उत्तर–पूर्वी क्षेत्र है। इसके अन्तर्गत हिमाचल के तराई क्षेत्र, तिस्ता तथा ब्रहमपुत्र नदी की घाटियां शामिल है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत असम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा सम्मिलित है। द्वितीय आदिवासी बहुल क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र कहलाता है। इसमे संपूर्ण भारत की लगभग 75 प्रतिशत जनजातियाँ निवास करती है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, वीरभूम, झारखंड, उडीसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं गुजरात के मध्यक्षेत्र सम्मिलित है। तृतीय क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र है। इसके अन्तर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के सीमावर्ती क्षेत्र आते है।

विकास के संदर्भ में जनजातीय समुदाय विभिन्न अवस्थाओं में है। इनमे से कुछ अभी भी जंगलो में यंत्र–तंत्र भोजन संग्रह एवं शिकार करके जीवन यापन करते है। पशुपालन करके जीवन

निर्वाह करने वालों में हिमाचल के गुज्जर एवं नीलगिरि के टोडा सहित अनेक जनजातियाँ है। उत्तर पूर्वी भारत तथा मध्य भारत की जनजातियों के आर्थिक जीवन का आधार कृषि है। भारत में औद्योगिक विकास के कारण कुछ जनजातियाँ विभिन्न प्रकार के उद्योगो में लगी है। बंगाल, बिहार एवं असम की जनजातियाँ चाय बगानो एवं कारखानों में कार्य करती है। इन लोगो का विश्वास अभी भी इस तथ्य में है कि 'व्यक्ति भूमि के लिए है'। ऐसी विचारधारा के धनी होने के कारण ही सभ्य समाज इन्हे 'चतुर्थ विश्व' की संज्ञा देता है।

देशज संस्कृति

संस्कृति किसी भी समाज एवं राष्ट्र की आत्मा होती है। किसी समाज के प्रवाहमय जीवन–पद्धति हेतु मार्ग संस्कृति के माध्यम से ही प्राप्त होता है। संस्कृति के नियम शाश्वत होते है। इससे तत्समय समाज को एक विशिष्ट जीवन व्यतीत करने की चेतना प्राप्त होती है। संस्कृति का मूल आधार मात्र भौतिक समृद्धि नही है, ब्लकि संस्कृति मानव अथवा मानव समुदाय की मानसिक, बौद्धिक तथा अध्यात्मिक शक्तियों की अभिवृद्धि एवं परिष्करण का सूचक भी है।[5] व्यापक अर्थ में धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, विज्ञान, रीति–रिवाज, प्रथाएँ, परम्पराएँ एवं संस्कार आदि के समन्वित रूप को संस्कृति कहते है।

देशज शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है, जिनका उस भौगोलिक क्षेत्रो से ज्ञात इतिहास से सबसे पुराना सम्बन्ध है। देशज समुदाय अधिकांशतः पारम्परिक रूप से प्रकृति–पूजक है। ये अपनी आजीविका एवं जीवनशैली से पूर्णतः आत्मनिर्भर रहे है। इनके जीवन–निर्वाह के लिए उपलब्ध संसाधन अधिकांशतः वनो से प्राप्त हुए है। उपयोगिता के दृष्टिगत् वनो के संरक्षण एवं संवर्द्धन में इनके द्वारा विशिष्ट भूमिका निभाई गई है। देशज के समानार्थी शब्दों में मूल निवासी, गिरिजन, आदिवासी, ट्राइब एवं जनजाति आदि सम्मिलित है।

प्रत्येक समाज के अपने सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक परम्पराएँ, जीवनशैली एवं उत्सव के तरीके होते है। देशज जनों को औषधियों, स्थानीय बनस्पति, प्राकृतिक चिकित्सा, घर बनाने, वस्त्र बनाने एवं स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन के प्रति जागरूकता एवं सजगता की विशिष्ट एवं अदभूत समझ है। इन्हे यह परिष्कृत ज्ञान अपने पूर्वजो से मौखिक परम्पराओं से प्रदत्त रहा है। इनकी विशिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराएँ पीढीगत् रूप से निरन्तर चले आ रहे सामूहिक सम्बन्धों तथा भू–स्वामित्व पर आधारित है। फसल के लिए मौसम के अनुकूल मिट्टी का चुनाव, बुवाई का समय, रोपाई, बीजो का संरक्षण एवं भंडारण सहित कृषि से सम्बन्धी देशज जनों का परम्परागत् ज्ञान आधुनिक संसाधनों एवं तकनीकों के समक्ष अपनी उपादेयता की सार्थकता को दृष्टिगत् करता है। देशज संस्कृति उक्त सभी का समन्वित रूप है। देशज जनो का सादगी भरा रहन–सहन जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण जैसे मुद्दों से जुझ रहे विश्व को एक सुलभ एवं टिकाऊ रास्ता दिखलाता है।

अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित जनजाति शब्द सबसे पहले भारत के संविधान में अस्तित्व में आया। संविधान के अनु० 366(25) में अनुसूचित जनजातियों को ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन

आदिवासी जातियों और आदिवासी समुदाय का भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हे इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनु० 342 में अनुसूचित जनजाति माना गया है, परिभाषित किया गया है।[6] दूसरे शब्दों में अनुसूचित जनजाति का अर्थ ऐसी जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय या जनजातीय समुदायों के हिस्सो से है, जिन्हे संविधान के अनु० 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना गया है।

विदित है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों की स्पष्ट परिभाषा नही दी गयी है। इन्हे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल की सलाह से उनके सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी अधिसूचना से निर्दिष्ट किया जाता है। राष्ट्रपति ने इस सम्बन्ध में अनेक आदेश जारी किए है और उनके द्वारा विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों को चिन्हित किया गया है। अनु० 342 के अधीन दी गयी शक्तियों के अनुसार संसद को इस सूची में संशोधन का अधिकार प्राप्त है।[7]

अनुसूचित जनजातियाँ मूलतः इसी देश की रहने वाली है। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है। भौगोलिक अलगाव एवं आधारभूत संरचना की कमी के कारण इनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति कमजोर है। सदियो से वनों और पर्वतीय क्षेत्रो में रहने के कारण जनजातीय समुदाय विकास की सामान्य प्रक्रिया के लाभ से वंचित रहे है। संविधान निर्माताओं ने इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कि देश में सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक तौर पर कुछ समुदाय अति पिछड़े हुए है। इनकी उन्नति के लिए भारत के संविधान में विशिष्ट प्रावधान किए है।

संविधान की प्रस्तावना

प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना के द्वारा संविधान निर्माताओं ने जनजाति समुदाय एवं देशज संस्कृति के दृष्टिगत् भारतीय राज्य व्यवस्था की आस्था, प्रेरणाओं और मूलभूत आदर्शो को निर्धारित किया है। डा० सुभाष काश्यप ने अपने एक लेख में लिखा है कि संविधान शरीर है एवं प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना तथ्य निर्देश है एवं संविधान के विभिन्न अनु० सिद्धि के साधन है अर्थात प्रस्तावना में लिखित एक–एक शब्द भविष्य की राजव्यवस्था के लिए निर्धारिक तत्व है। संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से ही अनुसूचित जनजाति सहित सभी व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गयी है। प्रस्तावना में निहित पावन आदर्श हमारे राष्ट्रीय आदर्श है और इनके द्वारा हम अपने गौरवमय अतीत से जुडते है। साथ ही ये भविष्य की आंकाक्षाओं को भी संजोए है।

मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व

संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शो को सुनिश्चित करने के लिए भाग–3 में मूल अधिकारो की व्यवस्था की गयी है। साथ ही संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत भाग–4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में राज्य के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए है।

अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछडेपन को दृष्टिगत रखते हुए संविधान में अनु० 15 और अनु० 16 में इनके लिए विशेष प्रावधान किए गये है। साथ ही संविधान के अनु० 19(5) में इनके हितार्थ इसी अनुच्छेद के खण्ड घ एवं ड़ में प्रदत्त मूल अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध की व्यवस्था की गयी है। संविधान के अनु० 46 में व्यवस्था है कि

राज्य कमजोर और वंचित समुदाय विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के लोगो के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितो को बढावा देगा तथा सामाजिक अन्याय और अन्य तरह के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

इसके अतिरिक्त अनु० 275(1) के अन्तर्गत राज्य को केन्द्रीय अनुदान सहायता का उपबंध है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देना तथा राज्यों की प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए उन्हे शेष राज्यों के स्तर के अनुरूप लाना और कल्याण एवं विकास सम्बन्धी ऐसे विशेष कार्यक्रमों को आरम्भ करना जो अन्यथा योजना कार्यक्रमों में शामिल नही है।[8] इसी तरह अनु० 164 में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश और उडीसा में जनजातियो के कल्याण के लिए भार साधक एक मंत्री का प्रावधान है। यह अनुसूचित जातियों और पिछडे वर्गो के कल्याण या अन्य कार्य का भी भार साधक हो सकता है।[9]

अनुसूचित जनजातियों के लिए अनु० 330 में लोकसभा में स्थानों का आरक्षण किया गया है एवं अनु० 332 में राज्य विधान सभाओं में उनके लिए स्थानों को आरक्षित किया गया है। सदनों में आरक्षित स्थानों की संख्या उस राज्य के अनुसूचित जनजातियों की संख्या के अनुपात में होगी। स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत अनु० 243(घ) एवं अनु० 243(न) में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित है। आरक्षित स्थानों में से एक तिहाई स्थान इनकी महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनु० 334 एवं अनु० 335 से सम्बंधित प्रावधान भी इसी समुदाय से सम्बंधित है।[10] नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी इनकी महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होंगे। वर्तमान लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 47 स्थान आरक्षित है एवं राज्य विधान सभाओं में कुल स्थानों में से 554 स्थान उनके लिए आरक्षित है।

अनु० 339 में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग का प्रावधान है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनु० 339(2) में व्यवस्था है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। संविधान की 5वी एवं 6वी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण सम्बन्धी विशेष संवैधानिक उपाय किए गए है। अनु० 244 के अनुसार 6वी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होंगे। 5वी अनुसूची के उपबंध इनसे भिन्न अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए है।

89वे संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनु० 338क जोडा गया है। इसमें एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा तीन सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी। इस आयोग का दिल्ली में स्थायी सचिवालय है। इसके अतिरिक्त 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। इनकी सेवा एवं शर्तो का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा। यद्यपि आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा। इसके अध्यक्ष को केन्द्र के कैबिनेट मंत्री और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है। सदस्यों का दर्जा भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है। इसके पास व्यवहार न्यायलय (सिविल कोर्ट) का अधिकार क्षेत्र भी है।

आयोग अनुसूचित जनजाति समुदाय की सुरक्षा, कल्याण एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है। यह संघ और किसी भी राज्य में जनजातीय समुदाय के विकास का मूल्यांकन भी करता है। इसके साथ ही इनके अधिकारों के उल्लंघन से जुडी शिकायतों की जाँच करता है। सुरक्षा एवं उनके हितो के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में वार्षिक आधार एवं आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति का उक्त से ससमय अवगत कराना सहित इसके प्रमुख कार्य है।[11]

निष्कर्ष एवं भविष्य

भारतीय जनजातीय समुदाय की जडे प्रकृति, परम्परागत बोलचाल, स्थानीय रोजगार एवं देशज संस्कृति के साथ जुडी है। सीधे–सादे ढंग से रहते हुए जनजातीय समुदाय हमारे देश की समृद्ध धरोहर को जीवंतता प्रदान कर रहे है। इनकी महत्तता के दृष्टिगत संविधान की प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में संसद द्वारा अनुसूचित जनजातियों को और ज्यादा संरक्षण देने के उद्देश्य से संवैधानिक प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाया गया है। हर तरफ संघर्ष, पलायन, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों, वित्तीय अस्थिरता, सामाजिक विषमता एवं पर्यावरण जैसे मुद्दों से जूझ रही मानव जाति के पथ प्रर्दशक के रूप में देशज संस्कृति की उपादेयता बनी हुई है।

अमृतकाल के इस दौर में अनुसूचित जनजातियों के समावेशी विकास के लिए कई परियोजनाएँ और नीतियाँ लागू की जा रही है। इससे इस समुदाय को विशेष मानवीय सुविधाएँ मिलेगी तथा उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी स्थापित होगी। संवैधानिक उपबंधों के दृष्टिगत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान केन्द्र सरकार के शासनकाल में जनजातीय व्यक्तियों के कल्याण की दिशा में सार्थक प्रयास किए गए है। इससें जनजातीय समुदाय की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। अद्यतन् समय में ही स्वाधीनता आंदोलन में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियो के सघर्ष और बलिदान की स्मृति में जाने–माने नेता बिरसामुण्डा के जन्म दिवस 15 नवंबर को ''जनजातीय गौरव दिवस'' के रूप में मनाया गया है। देश के शीर्ष संवैधानिक राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज की एक प्रखर महिला का होना इस समुदाय के प्रति माननीय मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। निस्संदेहः संवैधानिक उपबंधों के दृष्टिगत हुए प्रयासों एवं भारत सरकार के निरंतर वित्तीय प्रोत्साहन से जनजातीय और गैर–जनजातीय समुदायों के बीच विकास में विषमता का अंतर कम होगा एवं सभी समुदाय देशज संस्कृति के संरक्षण एवं सतत् विकास की अवधारणा के दृष्टिगत सन् 2047 तक विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करेंगे।

सन्दर्भ

1. (2023). योजना. नई दिल्ली. नवम्बर. पृष्ठ **07.**
2. सिंधी, डा० नरेन्द्र कुमार., गोस्वामी, वसुधाकर. (1993). समाजशास्त्र–विवेचन. राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमीः जयपुर. पृष्ठ **393–394.**
3. महाजन, डा० धर्मवीर., महाजन, डा० कमलेश. (2007). जनजातीय समाज का समाजशास्त्र. विवेक प्रकाशनः जवाहर नगर, दिल्ली. पृष्ठ **29.**

4. सिंह, सुनील कुमार. (2010). जाति व्यवस्था निरन्तरता एंव परिवर्तन. रावत पब्लिकेशन्सः जयपुर. पृष्ठ **22, 23.**
5. दास, डा० शिव. (1998). भारतीय संस्कृति के मूल तत्व. शारदा प्रकाशनः नई दिल्ली. पृष्ठ **19.**
6. धर, कुलदीप. (2010). भारत का संविधान. लॉ काटेजः दरभंगा कॉलोनी, प्रयागराज. पृष्ठ **127.**
7. काश्यप, सुभाष. (2021). हमारा संविधान. राष्ट्रीय पुस्तक न्यासः नई दिल्ली, भारत. पृष्ठ **307.**
8. पाण्डेय, डॉ0 जय नारायण. (2003). भारत का संविधान. सैन्ट्रल लॉ एजेन्सीः प्रयागराज. पृष्ठ **592.**
9. धर, कुलदीप. (2010). भारत का संविधान. लॉ काटेजः दरभंगा कॉलोनी, प्रयागराज. पृष्ठ **43.**
10. शर्मा, अभिषेक. (2001). भारतीय राजनीतिक व्यस्था. स्पेक्ट्रम, बुक्स प्रा० लि०ः जनकपुरी. पृष्ठ **156–226.**
11. धर, कुलदीप. (2010). भारत का संविधान. लॉ काटेजः दरभंगा कॉलोनी, प्रयागराज. पृष्ठ **112.**